पत्र संख्या:-3ए-1-मुक0-19/2013-3111(वि.)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-25.03.2015

विषय:- कार्य विभागों के लेखा लिपिक संवर्ग का पृथक्कीकरण के संबंध में ।

राज्य सरकार के अधीन विभिन्न कार्य विभागों में लेखा कार्य निष्पादन हेतु लेखा लिपिक के पद हैं । दिनांक 01/05/1980 के पूर्व इस संवर्ग में कनीय लेखा लिपिक एवं वरीय लेखा लिपिक के पद थे । कनीय लेखा लिपिक एवं वरीय लेखा लिपिक के पद को वित्त विभाग के परिपत्र सं0 1876, दिनांक 18/02/1981 के द्वारा दिनांक 01/05/1980 के प्रभाव से एकीकृत किया गया । इस एकीकरण के फलस्वरूप कनीय लेखा लिपिक को वरीय लेखा लिपिक में संविलयित (merge) कर दिया गया । इस merger के बाद सभी कनीय लेखा लिपिक (वेतनमान रू0 220-315/-) को दिनांक 01/05/1980 के प्रभाव से वरीय लेखा लिपिक के वेतनमान रू0 260-408/- में उत्क्रमित करते हुए लेखा लिपिक पदनाम से अभिहित किया गया ।

2. राज्य कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु गठित चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति एवं उसके बाद गठित वेतन पुनरीक्षण समितियों द्वारा इस merger का कोई cognizance नहीं लिया गया और कनीय एवं वरीय लेखा लिपिक के लिए अलग-अलग वेतनमान की अनुशंसा की गयी, जो निम्नवत् हैं :-

वेतन समिति का नाम	कनीय लेखा लिपिक का वेतनमान	वरीय लेखा लिपिक का वेतनमान
चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा जो दिनांक 01/04/1981 से प्रभावी हुई	535-765/-	730-1080/-
पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा जो दिनांक 01/01/1986 से प्रभावी हुई	975-1540/- 1200-1800/-	1400-2300/-
षष्ठम वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा जो दिनांक 01/01/1996 से प्रभावी हुई	4000-6000/-	4500-7000/-
वेतन समिति/उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा जो दिनांक 01/01/2006 से प्रभावी हुई	पी0बी0-1+2400/-	पी0बी0-1+2800/-

3. दिनांक 01/05/1980 एवं उसके बाद की तिथियों में इस संवर्ग में नियुक्त कर्मियों द्वारा दिनांक 01/05/1980 को निर्गत वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 1876 दिनांक 18/02/1981 के आलोक में एकीकृत पद लेखा लिपिक के लिए एकीकृत वेतनमान का दावा करते हुए दिनांक 01/01/1996 के प्रभाव से वेतनमान रू0 4500-7000/- का दावा किया गया है । परन्तु किसी विभाग अथवा संगठन

सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार पटना
गै०स०प्रे०सं० 2302
दिनांक 30.3.15

संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग
गै०स०प्रे०सं० 383
दिनांक 31/3/15

द्वारा वेतन पुनरीक्षण समिति के समक्ष या विसंगति निराकरण समितियों के समक्ष कोई आवेदन नहीं दिया गया ।

(ख) इस संदर्भ में दायर सी0डब्लू0जे0सी0सं0 8828/2006 (विन्दा राय एवं अन्य बनाम राज्य सरकार) एवं पुनः सी0डब्लू0जे0सी0सं0 1102/2009 (शिवचरण पासवान बनाम राज्य सरकार) में माननीय न्यायालय ने दिनांक 01/05/1980 से एकीकृत मानते हुए निम्नवर्गीय लेखा लिपिक/निम्नवर्गीय लिपिक लेखा/कनीय लेखा लिपिक के लिए दिनांक 01/01/1996 से रू0 4500-7000/- का वेतनमान स्वीकृत करने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया है ।

(ग) सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 8828/2006(विन्दा राय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक 01/12/2010 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि, "Accordingly, in view of the Division Bench judgement and Single Bench judgements rendered earlier, petitioner was paid the remuneration on basis of the pay scale of Rs. 4500-7000/- which was the pay scale for Senior Accounts Clerk. As this Court has been repeatedly saying that the distinction having been obliterated by merger, it could only be put into use after demerger. State took a decision to demerge the post with effect from 28.09.1999." एवं सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 1102/2009(शिव चरण पासवान बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक 08/08/2011 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अंकित है कि," Learned Counsel submits that by a notification dated 18.2.1981 the post of Junior Accounts Clerk and Senior Accounts Clerk in the PHED were merged with effect from 01.05.1980 as Accounts Clerk in the pay scale of Rs. 260-480/-. The petitioner was appointed in the pay scale of Rs. 535-765/- designated as Junior Accounts Clerk when he should have been assigned the pay scale of Rs. 730-1080/- as Accounts Clerk. The posts were demerged subsequently by notification dated 28.09.1999." पुनः इसी न्यायादेश में माननीय न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया है कि," The petitioner is therefore held entitled to the revised pay scale of Accounts Clerk (redesignated as Senior Accounts Clerk after demerger)."

(घ) उपर अंकित दोनों रिट याचिकाओं में पारित न्याय निर्णय में माननीय न्यायालय ने माना है कि वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 6389 दिनांक 28/09/1999 द्वारा लेखा लिपिक संवर्ग के पदों का पुनः पृथक्कीकरण किया गया है । वित्त विभागीय पत्रांक 6389 दिनांक 28/09/1999 विभिन्न सेवा/पदों में संविलियन को पृथक करते हुए पूर्व की भांति कनीय एवं वरीय संवर्ग को पुनर्जीवित करने एवं नई सेवाओं के गठन से संबंधित है, जिसके द्वारा कार्य विभागों के लेखा लिपिक संवर्ग के पदों को कनीय लेखा लिपिक एवं वरीय लेखा लिपिक के पद रूप में पृथक्कीकरण किया गया है ।

4. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में वित्त विभाग के परिपत्र सं0 1876 दिनांक 18/02/1981 के द्वारा कनीय लेखा लिपिक एवं वरीय लेखा लिपिक के पद को एकीकृत

मानते हुए, तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेशों के आलोक में दिनांक 01/01/1996 से क्रमशः रू0 4000-6000/- एवं रू0 4500-7000/- का वेतनमान अनुमान्य करने तथा वित्त विभागीय पत्रांक 6389 दिनांक 28/09/1999 के द्वारा दिनांक 28/09/1999 के प्रभाव से ही कनीय लेखा लिपिक तथा वरीय लेखा लिपिक के पद का पृथक अस्तित्व स्वीकार करने तथा उसी के अनुरूप विभिन्न वेतन पुनरीक्षण समितियों के प्रतिवेदन के आधार पर अधिसूचित वेतनमानों में संशोधन का निर्णय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था ।

5. सम्यक् विचारोपरांत कार्य विभागों के लेखा लिपिक संवर्ग के वेतनमान के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:-

(i) दिनांक 01/05/1980 से दिनांक 27/09/1999 की तिथि तक इस संवर्ग में नियुक्त कर्मी एकीकृत पदनाम-''वरीय लेखा लिपिक'' से अभिहित होंगे । ऐसे लेखा लिपिक को दिनांक 01/04/1981 के प्रभाव से रू0 730-1080/-, दिनांक 01/01/1986 के प्रभाव से रू0 1400-2300/-दिनांक 01/01/1996 के प्रभाव से रू0 4500-7000/- तथा दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से पी.बी.-1 + 2800/- अनुमान्य होगा ।

(ii) दिनांक 28/09/1999 एवं उसके बाद की तिथियों में कार्य विभागों के लेखा लिपिक संवर्ग में कनीय लेखा लिपिक/निम्नवर्गीय लेखा लिपिक/निम्नवर्गीय लिपिक (लेखा) के पद पर नियुक्त कर्मी कनीय लेखा लिपिक के पदनाम से अभिहित होंगे तथा उन्हें दिनांक 31/12/2005 तक रू0 4000-6000/- तथा दिनांक 01/01/2006 से पी.बी.-1 + 2400/- का वेतनमान अनुमान्य होगा । वरीय लेखा लिपिक कोटि में प्रोन्नति के बाद उनका वेतनमान 4500-7000 तथा दिनांक 01.01.2006 के बाद पी.बी.1+2800 रू. अनुमान्य होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह./-
(प्रभात शंकर)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः- 3ए-1-मुक0-19/2013-3111(वि.) पटना, दिनांकः-25.03.2015

प्रतिलिपिः-महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह./-
(प्रभात शंकर)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः- 3ए-1-मुक0-19/2013-3111(वि.) पटना, दिनांकः-25.03.2015

प्रतिलिपिः-सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधानसभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25-3-15

(प्रभात शंकर)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

Sankalp of Accounts clerk/RK

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांक:-3/स्था0-18 (विविध-पत्राचार)-मु0-05/15 पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि वित्त विभागीय ज्ञापांक-3111 (वि0) दि0-25.03.15 के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश अधीनस्थ कार्यालयों को देने की कृपा की जाय ।

ह0/-

(कमलेश्वर प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक:- 563 पटना, दिनांक- 15-4-15

प्रतिलिपि:-कम्प्यूटर कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को इस निदेश के साथ प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाय ।

(कमलेश्वर प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव ।

15/4/15